न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/143/2014 वाद दायर दिनांक 07.08.2014

उनवान

1. लालुराम पिता रामा जाति भील आयु वयस्क निवासी चतरभुजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. राम लाल पिता सवाई राम जाति भील आयु वयस्क निवासी चतरभुजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. हीरा लाल पिता सवाईराम भील आयु वयस्क निवासी चतरभुजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना –वादीगण
एकतरफा –प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 22.09.2022

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि यह कि मौजा चतरभुजपुरा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ.नं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 133, 135 कुल किता 13 कुल रकबा 2.23 है0 स्थित है जिसमें वादी सं. 1 का 1/2 व वादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा है किन्तु खाते में संयुक्त दर्ज है। मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है किन्तु खाते में संयुक्त दर्ज है जिससे विभाजन कराया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादी सं. 1 को विभाजन के लिए दिनांक 01.07.2014 को कहा तो प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया और मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा किया जिससे विभाजन कराया जाना आवश्यक है। यह कि वादकारण दिनांक 01.07.2014 से एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि चतरभुजपुरा की आ.नं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 133, 135 कुल किता 13 का मौके पर कब्जे अनुसार व हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराये जाने की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण दिलाई जावे। हर्जा खर्चा वकील मेहन्ताना व अन्य दाद मुफिद वादी दिलाई जावे।

Web Copy - Not Official

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता दिनांक 22.09.2022 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने एकतरफा कार्यवाही की गयी। पत्रावली में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 के तहत केम्प तुर्किया खुर्द में दिनांक 26.06.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 15.07.2016 को प्रस्तुत की गई। अतः आज दिनांक 22.09.2022 को वादी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है कि मौजा चतरभुजपुरा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ.नं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 133, 135 कुल किता 13 कुल रकबा 2.23 है0 में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 15.07.2016 के अनुसार मौके अनुसार बटवाडा किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:55 IST
Reason: SelfAttested

1. लालुराम पिता रामा जाति भील सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	3	0.35	चा0 3
2	4	0.10	बा0 2
3	11	0.07	चा0 3
4	12	0.20	चा0 3
5	13	0.14	पडत 2
योग	कुल किता–5	0.86	

2. लालू, शंकरी पिता रामलाल, मु0 लोबी बेवा रामलाल जाति भील सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	8	0.23	चा0 3
2	10	0.07	बीड 1
3	13	0.13	पडत 2
योग	कुल किता– 3	0.43	

3. हीरालाल पिता सवाईराम जाति भील सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	5	0.04	पडत 2
2	6	0.14	चा0 3
3	7	0.14	चा0 3
4	8	0.08	चा0 3
5	10	0.03	बीड 1
योग	कुल किता– 5	0.43	

4. लालुराम पिता रामा 1/2, लालू, शंकरी पिता रामलाल, मु0 लोबी बेवा रामलाल 1/4 , हीरालाल पिता सवाईराम 1/4 जाति भील सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	9	0.02	आ0 खड्डा
2	133	0.21	बा0 2
3	135	0.28	बा0 2
योग	कुल किता– 3	0.51	

रहन बदस्तुर रहें तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:55 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन